

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/
न्यू0वे0/श्र0आ0/2015/7682 दिनांक 26.09.2015 के अनुसार जनवरी 2015 से जून 2015
तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1185 रहा है। इसलिये
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 352 (1982=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जनवरी
2015 से जून 2015 तक की अवधि 833 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। (1185-352=833
पाईंट) जिसके परिणाम स्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील
महँगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये 10.41
रूपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2015 से 31.03.2016 तक देय है।

श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (सी) 3-97-16-ए, दिनांक
12.01.1999 (राजपत्र दिनांक 15.01.1999 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक
एफ-4 (सी) 3-97-16-ए, दिनांक 18.03.1999 (राजपत्र दिनांक 02.04.1999 में प्रकाशित) के
अन्तर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनांक द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील
महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2015 से 31.03.2016
तक देय है। अनुसूची "ई"